कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–2/को.के./विविध/2019 दिनांक :–25.09.2020

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा।

विषयः– वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों के रिशफल संभाग आवंटन के सम्बन्ध में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 5753/2020 निर्मला जाट बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा अन्य समान प्रकरणों में पारित समेकित निर्णय दिनांक 14.09.2020 के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102/सी.भ./विभिन्न विषय/ रिशफल आवंटन/2020 दिनांक 14.07.2020 एवं 20.07.2020 के सम्बन्ध में

सन्दर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–2/को.के./जोध/12861/2020 दिनांक :– 28.07.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक आदेशों के द्वारा डी.बी.रिव्यू याचिका संख्या 267/2019 राज्य बनाम पूनम शर्मा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2019 (अन्तर्गत दायर डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 815/2019 राज्य बनाम पूनम शर्मा ने पारित समेकित निर्णय दिनांक 29.08.2019 अन्तर्गत एस.बी.सिविल याचिका संख्या 23680/2018 व अन्य समान 100 प्रकरणों में पारित समेकित निर्णय दिनांक 02.04.2019) की पालना में वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों का रिशफल सम्भाग आवंटन संभागवार विज्ञापित पदों की संख्या तक अभ्यर्थियों के वर्ग एवं चयन वर्गवार मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा दी गई संभाग की प्राथमिकता के अनुसार किया गया था।

उक्त रिशफल संभाग आवंटन के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 5753/2020 निर्मला जाट बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा अन्य समान प्रकरणों में पारित समेकित निर्णय दिनांक 14.09.2020 में माननीय न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये हैः–

(i) The State shall publish latest subject-wise and categorywise vacant position of each division on its website, within a period of 15 days from today.

(ii) All the petitioners herein may submit representations to the Director, giving choice(s) qua the vacant positions [out of their division(s)], so published by the State. Representation(s) be furnished within a period of four weeks from publication of such list.

(iii) The petitioners shall also be permitted to request for mutual transfer within their division.

(iv) The Director/Joint Director shall decide petitioners' representations within a period of four weeks thereafter, while trying to accommodate the petitioners in accordance with the preference given by them, of course, if the relevant law/guidelines so permit.

(v) In case, petitioners' representations are rejected, the respondents shall pass a reasoned order under intimation to the concerned.

(vi) The petitioners will be free to take up their remedies against such orders, in accordance with law.

Interim orders, if any, shall continue till 30.11.2020. All the interlocutory applications also stand disposed of.

अतः उक्त निर्देशों के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.09.2020 की पालना में आपके कार्यालय स्तर से निम्नलिखित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें:–

www.rajteachers.com

1. शासन के पत्रांक प. 17(7) शिक्षा–2/2016 पार्ट दिनांक 01.07.2020 द्वारा अनुमोदित दिशा–निर्देशों के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक के विषयवार रिक्त पदों को दिनांक 29.09.2020 तक विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करें।
2. बिन्दु संख्या 01 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में प्रदर्शित रिक्त पदों पर पदस्थापन चाहने वाले याचिकार्थियों द्वारा दिनांक 27.10.2020 तक आपके कार्यालय में प्रस्तुत समस्त अभ्यावेदनों को संकलित कर इस कार्यालय को दिनांक 30.10.2020 तक वाहक स्तर पर प्रेषित करें।

संलग्नः– न्यायालय निर्णय दिनांक 14.09.2020 की प्रति

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–विधि) जोधपुर/जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)